UPMA010003672015

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, जनपद मऊ(उ०प्र०)।

पीठासीन अधिकारीः– संजय कुमार यादव–III (एच0 जे0 एस0)

ID No.–UP2023

1–सत्र परीक्षण संख्याः–47/2015

राज्य––––––––––बनाम–––––––विनय राजभर व एक अन्य

अपराध सं०	632/2014, थाना मधुबन, मऊ
अन्तर्गत धारा	307 भा.दं.सं.
अभियुक्त का नाम पता	1–विनय राजभर पुत्र कामता राजभर, निवासी डेहरी, थाना रसड़ा, जिला बलिया,

एवं

UPMA010003172016

2–सत्र परीक्षण संख्याः–51/2016

राज्य––––––––––बनाम–––––––विनय राजभर

अपराध सं०	633/2014, थाना मधुबन, मऊ
अन्तर्गत धारा	3/25 आयुध अधिनियम
अभियुक्तगण का नाम पता	विनय राजभर पुत्र कामता राजभर, निवासी डेहरी, थाना रसड़ा, जिला बलिया,
शिकायतकर्ता/वादी मुकदमा	निरीक्षक परमानन्द मिश्र
उ०प्र० राज्य की ओर से प्रस्तुतकर्ता अधिवक्ता	1–श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता 2–श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
बचाव अधिवक्ता	श्री राजेश कुमार शर्मा,
घटना का दिनांक व समय	12.08.2014 समय 15.50 बजे दिन में
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने का दिनांक व समय	12.08.2014 समय 19.10 बजे
आरोप विरचित होने का दिनांक	14.05.2015 एवं 05.04.2016
अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने का दिनांक	13.10.2023

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.07.24 10:23:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त का बयान अंकित होने का दिनांक	23.11.2023
बहस का दिनांक	17.07.2026
निर्णय का दिनांक	21.07.2026

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के गवाहों की सूची

1–अभियोजन पक्ष के साक्षीः–

अभियोजन साक्षी संख्या	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति(चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी व अन्य साक्षी)**
पी०डब्लू०–1	परमानन्द मिश्र	निरीक्षक/वादी मुकदमा
पी०डब्लू०–2	श्रीनिवास चौधरी	उपनिरीक्षक

2–बचाव पक्ष के साक्षीः–

प्रतिरक्षा साक्षी संख्या	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति(चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी व अन्य साक्षी)**
निल	निल	निल

3–न्यायालय साक्षी, यदि कोई होः–

न्यायालय साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी व अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के प्रदर्शों की सूची

1–अभियोजन प्रदर्शः–

क्रम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**	**प्रपत्र सं०**
1	प्रदर्श क–1	फर्द बरामदगी	5 क
2	प्रदर्श क–2	घटनास्थल का नक्शा नजरी	9 क/1
3	प्रदर्श क–3	असलहा बरामदगी का नक्शा नजरी	9 क/2
4	प्रदर्श क–4	आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 307 भा.दं.सं.	3 क/1
5	प्रदर्श क–5	आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधि०	3 क/1
6	प्रदर्श क–6	प्रथम सूचना रिपोर्ट	4 क/1
7	प्रदर्श क–7	कायमी जी.डी.	6 क/4

2–बचाव प्रदर्श–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

निल	निल	निल

3–न्यायालय प्रदर्श–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रपत्र सं०
निल	निल	निल	निल

4–वस्तु प्रदर्श–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	वस्तु प्रदर्श–1	एक अदद असलहा
2	वस्तु प्रदर्श–2	खोखा कारतूस
3	वस्तु प्रदर्श–3	जिन्दा कारतूस

निर्णय

(1) प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में अभियुक्तगण विनय राजभर एवं शिम्पू राज उर्फ शशिकान्त राय के विरूद्ध थाना मधुबन, जिला मऊ की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 632/2014 अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं० एवं अभियुक्त विनय राजभर के विरूद्ध अपराध सं० 633/2014, अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के मामले में पृथक–पृथक आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किये जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा अपराध का संज्ञान लेते हुये उक्त प्रकरण सत्र परीक्षणीय होने के कारण इस न्यायालय में दिनांक 02.03.2015 एवं 01.03.2016 को सत्र सुपुर्द किया गया, जो इस न्यायालय में क्रमशः सत्र परीक्षण सं० 47/2015 एवं 51/2016 में दर्ज की गयी है। उक्त दोनों सत्र परीक्षण एक ही घटना, समय, स्थान व अभियुक्त से संबन्धित होने के कारण निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

(2) *यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सत्र परीक्षण सं० 47/2014, राज्य बनाम विनय राजभर व एक अन्य, अपराध सं० 632/2014, धारा 307 दं.प्र.सं. के अभियुक्त* ***शिम्पू राय उर्फ शशिकान्त राय*** *के अनुपस्थिति के कारण पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 23.11.2023 को उसकी पत्रावली पृथक की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मामले में मात्र अभियुक्त विनय राजभर का परीक्षण किया जा रहा है।*

(3) अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि वादी मुकदमा/थानाध्यक्ष परमानन्द मिश्र ने थाना मधुबन, जनपद मऊ में दिनांक 12.08.2014 को इस आशय का लिखित तहरीर (फर्द प्रदर्श क–1) दिया था, जिसमें संक्षेप में उल्लेख है कि दिनांक 12.08.2014 को वह अपने हमराहियान के साथ सरकारी जीप से मुकदमा अपराध सं० 620/2014, धारा 394 भा.दं.सं. की विवेचना में दुबारी तिराहा पर आया, जहां चौकी प्रभारी दुबारी राम इकबाल

मय हमराही मौजूद मिले। उनसे अभियुक्तगण के बाबत तलाश करते हुये अभियुक्तगण की दबिश हेतु नन्दौर चट्टी पर पुहंचा। वहां पर उप निरीक्षक देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराही कर्मचारीगण मिले। घटित उक्त घटना में शामिल अपराधियों के संबन्ध में बातचीत कर रहा था कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मोटर साइकिल हीरोहोण्डा सी.डी. डान बिना नम्बर से दो व्यक्ति नहर पटरी पकड़े फतेहपुर मण्डाव की तरफ से नन्दौर चट्टी की तरफ आ रहे हैं, यहीं पकड़ लिया जाये तो जगदेव पेट्रोल पम्प पर हुई लूट का पर्दाफाश हो सकता है। उस पर विश्वास करके एक–दूसरे को सूचना से अवगत कराते हुए तत्कालीन सरकारी वाहनों से मुखबिर सहित प्रस्थान कर बबलू पाण्डेय के ईंट–भट्ठे के सामने पहुंचा कि एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति फतेहपुर मण्डाव की तरफ से आते हुए दिखाई दिये, जिसे देखते हुये मुखबिर ने इशारा करके वाहन को रोकवा कर उतरकर चला गया। मोटर साइकिल को रोका गया तो मोटर साइकिल चालक के ललकारने पर पुलिस वालों पर हाथ में लिये हुए पिस्टल से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आवश्यक बल का प्रयोग कर मौके पर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो उन्होंने बताया तथा जामा तलाशी ली गयी तो विनय राजभर के पास से एक अदद पिस्टल 32 बोर, अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस तथा 12,960/– रुपये बरामद हुआ। उक्त बरामद वस्तुओं को एक सफेद कपड़े में सील मुहर किया गया और अभियुक्तगण को उनके अपराध से अवगत कराकर गिरफ्तार किया गया। समस्त कार्यवाही के दौरान जनता के व्यक्ति आ जा रहे थे परन्तु गवाही के नाम पर बुराई–भलाई के डर से गवाही के नाम पर हट–बढ़ गये।

(4) उक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 632/2014 अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं० बनाम विनय राजभर व एक अन्य तथा अपराध सं० 633/2014 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम विनय राजभर दर्ज हुयी। विवेचना उपरान्त विवेचक ने अभियुक्तगण विनय राजभर एवं शिम्पू राय उर्फ शशिकान्त राय के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं० एवं अभियुक्त विनय राजभर के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया।

(5) इस क्रम में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 14.05.2015 को अभियुक्तगण विनय राजभर एवं शिम्पू राय उर्फ शशिकान्त राय के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 भा.दं.सं. तथा दिनांक 01.03.2016 को अभियुक्त विनय राजभर के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(6) अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गये आरोपों पर निष्कर्ष देने से पूर्व अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये गवाहों के मुख्य बयानों का अवलोकन किया जाना विधियुक्त है। अभियोजन द्वारा कुल 2 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया हैं, जिनके मुख्य शपथ पत्र बयान निम्नवत हैं:–

(7) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **पी० डब्लू०–1 वादी मुकदमा/थानाध्यक्ष परमानन्द मिश्र** ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 12.08.2014 को मैं बतौर थानाध्यक्ष थाना मधुबन, जनपद मऊ पर तैनात था। उस दिन हमराही कर्मचारीगण आरक्षी भूपेन्द्र सिंह, आरक्षी सभाजीत यादव, आरक्षी बृजभान यादव मय सरकारी जीम से अपराध सं० 620/14 धारा 394 भा.दं.सं. की विवेचना व पता रसी सुराग रसी में दुबारी तिराहे पर आया, जहां चौकी प्रभारी दुबारी उपनिरीक्षक राम इकबाल सिंह मय हमराही मौजूद मिले। उनसे अभियुक्तगण के बाबत तलाश करते हुये अभियुक्तगण की दबिश हेतु नन्दौर चट्टी पर पहुंचा वहां पर उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराही कर्मचारीगण मिले। घटित उक्त घटना में सरीक अपराधियों के संबन्ध में बातचीत कर रहा था कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मोटर साइकिल हीरोहण्डा सी.डी डान बिना नम्बर से दो व्यक्ति नहर पटरी पकड़कर फतेहपुर मण्डाव की तरफ से नन्दौर चट्टी की तरफ आ रहे है, यहीं पकड़ लिया जाये तो जगदेव पेट्रोल पम्प पर हुई लूट का पर्दा फाश हो सकता है। उस पर विश्वास करके एक दूसरे को सूचना से अवगत कराते हुये तत्काल सरकारी वाहनों से मुखबिर सहित प्रस्थान कर नहर पटरी पकड़े बबलू पाण्डेय के ईंट–भट्ठे के सामने पहुंचा कि एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति फतेहपुर मण्डाव की तरफ से आते हुए दिखाई दिये, जिसे देखते ही मुखबिर ने इशारा करके वाहन को रोकवा कर उत्तर कर चला गया, जिस पर हम पुलिस के लोग सामने से आ रही मोटर साइकिल को रोका गया, जिस पर पीछे बैठा व्यक्ति मोटर साइकिल चला रहे चालक के तरफ करने पर मारो सालों को, हम पुलिस वालों पर हाथ में लिये पिस्टल से जान से मारने की नीयत से समय करीब 15.00 बजे फायर कर दिया कि हम पुलिस वाले बाल–बाल बच गये पुनः हिकमत अमली से आवश्यक बल प्रयोग करते हुये एवं अपने आप को बचाते हुए उक्त दोनों व्यक्तियों को वहीं नहर पटरी पर ही सराय मेवा गिरी के ग्राम के सामने स्थित बबलू पाण्डेय के ईंट–भट्ठे के सामने घेर कर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया एवं क्रमशः जामा तलाशी लिया गया तो मोटर साइकिल बिना नम्बर की सी.डी. डान पर पीछे बैठा व्यक्ति ने अपना नाम विनय राजभर पुत्र कामता राजभर ग्राम डेहरी, थाना रसड़ा, जनपद बलिया बताया, जिसकी जामा तलाशी से दाहिने हाथ में लिए एक अदद पिस्टल 32 बोर, जिसमें

एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बरामद हुआ तथा एक अदद खोखा कारतूस 32 बोर जमीन पर फायर शुदा मिला। पिस्टल चालू हालत में मय मैगजीन के साथ बरामद हुआ तथा पहने हुए पैन्ट के पीछे की जेब से 6650 रुपया, जिसमें 500 की 13 नोट, 100 रुपये की एक नोट तता 50 रुपये की एक नोट बरामद हुआ। मोटर साइकिल चला रहे व्यक्ति से पूछने पर अपना नाम पता शिम्पू राय उर्फ शशिकान्त राय पुत्र अरविन्द राय बताया, जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए जेब से, जो जीन्स की पैंट की पीछे की जेब से 6310 रुपये, जिसमें 500 के बारह नोट, 100 रुपये के तीन नोट, 10 रुपये का एक नोट तथा मोटर साइकिल हीरो होण्डा सी.डी. डान, जिसका इंजन नं० 05D27E07032 था। पकड़े गये दोनों व्यक्ति से पूछताछ किया तो बताया कि योगेन्द्र यादव के साथ मिलकर दिनांक 06.08.2014 को जगदेव पेट्रोल पम्प पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। विनय राजभर ने बताया कि पकड़े गये इसी पिस्टल से मैंने फायरिंग किया। उसका असर न होने पर सेल्स मैन को गोली मारी थी तथा तीसरा फायर करने पर दूसरा सेल्स मैन फेक कर भागा था। शिम्पू राय ने इस घटना में इसी गाड़ी को चला रहा था। इस लूट में पहले बैग में 30 हजार रुपया तथा दूसरे बैग में 42 हजार रुपया कुल 72 हजार रुपया लूट में मिला था। यही मोटर साइकिल पेट्रोल पम्प के लूट में प्रयोग की गयी थी, जिसको योगेन्दर यादव ने लाया था तभी से यह मोटर साइकिल हम लोगों के पास है। इस लूट में मिले कुल 72 हजार रुपये को हम लोगों ने आपस में बांट लिया था, जिसमें विनय राजभर को 27 हजार रुपया, योगेन्द्र यादव को 27 हजार रुपया तथा शिम्पू राय को 18 हजार रूपया मिला था। आप लोग, हम लोगों से उसी लूट का पैसा बरामद किये हैं। लूट में मिले शेष रुपये खर्च हो गये है। बरामद शुदा पिस्टल मैगजीन तथा एक जिन्दा कारतूस व खोखा कारतूस एवं बरामद रुपये को कब्जा पुलिस में लेकर पिस्टल कारतूस व मैगजीन को एक कपड़े में रख कर सर्व मुहर कर तथा बरामद रुपये को अलग–अलग कपड़ो में रखकर सील कर नमूना मुहर तैयार किया गया। अभियुक्तगण का यह अपराध बताते हुये अन्तर्गत धारा 394, 411 भा.दं.सं. व 307 भा.दं.सं. विरूद्ध विनय राजभर, शिम्पू राय तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम विनय राजभर का दण्डनीय अपराध बता कर हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामदगी के दौरान पब्लिक के लोगों को गवाही देने के लिए कहा गया लेकिन बिना नाम बताये हट–बढ़ गये। हम लोगों ने मा० उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार के आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तारी मेमों तैयार किया तथा मौके पर उपनिरीक्षक राम इकबाल सिंह से बोल–बोलकर फर्द तैयार कराया तथा संबन्धित हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्तगण से हस्ताक्षर कराये तथा फर्द की कायी अभियुक्तगण को देकर उस पर भी हस्ताक्षर बनवाया

गया, वह फर्द पत्रावली में कागज सं० 5क के रूप संलग्न है, जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। गिरफ्तार अभियुक्त एवं बरामद माल व फर्द थाना कार्यालय लाकर मुकदमा पंजीकृत कराया था। घटना के बावत विवेचक ने मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिया था। अभियुक्त विनय राजभर के पास से बरामद पिस्टल सर्व मुहर हालत में न्यायालय के समक्ष जिस पर अपराध सं० 633/14 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम विनय राजभर अंकित है, न्यायालय के आदेश पर उसे खोला गया तो उसमें से एक अदद पिस्टल निकली तथा एक खोखा कारतूस, एक जिन्दा कारतूस निकला, जिसे गवाह ने देखकर बताया कि यही पिस्टल विनय राजभर के पास से बरामद हुई थी तथा खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस बरामद हुआ था, जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–1, वस्तु प्रदर्श–2 एवं वस्तु प्रदर्श–3 डाला गया।

(8) **पी० डब्लू०–2 उप निरीक्षक श्रीनिवास चौधरी** ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 13.08.2014 को मैं बतौर उप निरीक्षक थाना मधुबन जनपद मऊ में तैनात था। उस दिन थाना कार्यालय पर अपराध सं० 632/14, धारा 307 भा.दं.सं. व 633/14 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम विनय पंजीकृत होकर विवेचना मुझे प्राप्त हुई। मैंने पर्चा सं० 1 में नकल फर्द बरामदगी, नकल रपट वादी श्री परमानन्द मिश्र से पूछताछ कर उनका बयान केस डायरी में अंकित किया। उसी दिन गिरफ्तार अभियुक्त विनय राजभर व शिम्पू राय उर्फ शशिकान्त तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक राम प्रसाद से पूछताछ कर बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 19.08.2014 को पुनः विवेचना मे मसगूल होकर फर्द के गवाह उप निरीक्षक राम इकबाल सिंह, आरक्षी भूपेन्द्र सिंह, आरक्षी बृजभान यादव व आरक्षी रामजीत यादव से पूछताछ कर उनका बयान केस डायरी में अंकित किया। उसी दिन घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया व नक्शा नजरी क्रमशः शामिल पत्रावली 9क/1, 9क/2 है, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–2 एवं प्रदर्श क–3 डाला गया। दिनांक 16.08.2014 को पुनः विवेचना में मसगूल होकर फर्द के गवाह उप०नि० देवेन्द्र कुमार व अन्य आरक्षी बल से पूछताछ कर उनका बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 22.08.2014 को फर्द के गवाह आरक्षी राजेन्द्र सिंह, आरक्षी संतोष सिंह, दिनांक 27.08.2014 को आरक्षी राघवेन्द्र दुबे व अन्य से पूछताछ कर उनका बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 10.09.2014 को साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त विनय राजभर, शिम्पू राय उर्फ शशिकान्त राय के विरूद्ध धारा 307 भा.दं.सं. का अपराध पाते हुए आरोप पत्र सं० 139/14 न्यायालय प्रेषित किया। वह आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज सं० 3क/1 जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला

गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा अपराध सं० 633/14 में अभियुक्त विनय राजभर के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम बरामदगी के आधार पर अपराध साबित पाते हुए उसके विरूद्ध आरोप पत्र सं० 153/14 जो सत्र परीक्षण सं० 51/16 में कागज सं० 3क/1 है, वह आरोप पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। मेरे साथ आरक्षी राम प्रकाश यादव काम किये हैं, मैं उनको लिखते–पढ़ते देखा हूँ। एक ही फर्द से उन्होंने मुकदमा अपराध सं० 632/14 धारा 307 बनाम विनय राजभर व मुकदमा अपराध सं० 633/14 धारा 36/25 आयुध अधिनियम उन्होंने चिक सं० 124/14 अपने लेख व हस्ताक्षर में किता किये हैं। वह चिक शामिल पत्रावली कागज सं० 4क/1, 4क/2 है, जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। उक्त चिक का इन्द्राज उसी दिन रपट सं० 33 समय 19.10 बजे राम प्रकाश यादव ने अपने लेख व हस्ताक्षर में किया है, वह जी.डी. शामिल पत्रावली कागज सं० 6क/3 लगायत 6क/5 है, जो राम प्रकाश के लेख में है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया।

(9) उपर्युक्त दोनों अभियोजन साक्षियों से बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा किया गया है, जिसका उल्लेख निष्कर्ष में किया गया है।

(10) अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं० प्र० सं० अंकित किया गया। अभियुक्त ने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं० प्र० सं० में घटना को गलत बताते हुये कहा कि गलत एफ.आई.आर. दर्ज करते हुये गलत विवेचना की गई है तथा विवेचक ने गलत आधारों पर आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियुक्त ने यह भी कहा है कि उसके विरूद्ध यह मुकदमा रंजिशन चलाकर झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

(11) प्रभारी/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तार से सुना तथा वादी/अभियोजन तथा बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत तर्क व संलग्न सुसंगत प्रपत्रों एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया।

(12) अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं० एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम को सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर निर्भर है। प्रस्तुत सत्र परीक्षण को अभियोजन द्वारा साबित करने के उद्देश्य से कुल 2 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जो दोनों पुलिस साक्षीगण हैं।

(13) इस निमित्त विधि निर्णय धनपाल बनाम राज्य 2009 (69) ए.सी.सी. पृष्ठ 697 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि आपराधिक विचारण में यह दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह अपना कथन सिद्ध करे तथा यह न्यायालय का

दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें, जैसा अभियोजन कथन है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जाये साथ ही किसी प्रकार के अभिवृद्धि की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(14) विधि निर्णय उड़ीसा राज्य प्रति बनबिहारी महापात्र व एक अन्य, 2022(1) जे.आई.सी. रिपोर्ट्स 274(एस.सी.)(द्विभाषी) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि अभियुक्त को निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है जब तक वह युक्तियुक्त संदेह से परे दोषी साबित नहीं किया जाता।

(15) ऐसी स्थिति में अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 307 दं०प्र०सं० एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध को संदेह से परे सिद्ध किया जाना है।

(16) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और न ही किसी पक्ष को कोई चोट आयी है साथ ही अभियोजन द्वारा परीक्षित समस्त साक्षी पुलिसकर्मी है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण घटना संदेहास्पद व फर्जी हो जाती है, जिसके कारण अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है, जबकि अभियोजन द्वारा उक्त तर्क का घोर विरोध किया गया है और यह कथन किया है कि इस प्रकरण में परीक्षित कराये गये वादी मुकदमा/थाना प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मियों के ऊपर जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर किया गया और अभियुक्त के पास से उक्त अवैध पिस्टल बरामद भी की गयी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

(17) संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक अनुसार 12.08.2014 को समय लगभग 15.50 बजे शाम को मुखबिर की सूचना के आधार पर वादी मुकदमा/प्रभारी निरीक्षक परमानन्द मिश्र ने अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ घटना स्थल बबलू पाण्डेय के ईंट–भट्ठा के पास ग्राम सरायमेवा गिरी, थाना मधुबन, जनपद मऊ पर पहुंचे तो एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति फतेहपुर मण्डाव की तरफ से आते हुए दिखाई दिये, जिसे देखते ही मुखबिर ने इशारा करके वाहन को रोकवाकर उतरकर चला गया। मोटर साइकिल को रोका गया तो मोटर साइकिल चालक के ललकारने पर हाथ में लिये हुए पिस्टल से पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया परन्तु हम पुलिस वाले बाल–बाल बच गये। आवश्यक बल का प्रयोग कर मौके पर पकड़ लिया तथा अभियुक्त की जामा तलाशी में उसके पास से एक अदद पिस्टल, एक अदद जिन्दा कारतूस एवं एक अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

(18) इस निमित्त अभियोजन की ओर से सर्वप्रथम साक्षी सं० 1 वादी मुकदमा/प्रभारी निरीक्षक परमानन्द मिश्र को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य

दिया है कि दिनांक 12.08.2014 को वह अपने हमराहियान के साथ सरकारी जीप से मु0अ0सं0 620/14, धारा 394 भा.दं.सं. की विवेचना में दुबारी तिराहा पर आया, जहाँ चौकी प्रभारी दुबारी राम इकबाल मय हमराही मौजूद मिले। उनसे अभियुक्तगण के बाबत तलाश करते हुए अभियुक्तगण की दबिश हेतु नन्दौर चट्टी पर पहुँचा। वहाँ पर उप निरीक्षक देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराही कर्मचारीगण मिले। घटित उक्त घटना में शामिल अपराधियों के संबंध में बातचीत कर रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मोटर साइकिल हीरो होण्डा सी.डी. डान बिना नम्बर से दो व्यक्ति नहर पटरी पकड़े फतेहपुर मण्ड़ाव की तरफ से नन्दौर चट्टी की तरफ आ रहे हैं यहीं पकड़ लिया जाये तो जगदेव पेट्रोलपम्प पर हुयी लूट का पर्दाफाश हो सकता है। उस पर विश्वास करके एक दूसरे को सूचना से अवगत कराते हुए तत्कालीन सरकारी वाहनों से मुखबिर सहित प्रस्थान कर बबलू पाण्डेय के ईट–भट्ठे के सामने पहुँचा कि एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति फतेहपुर मण्डाव की तरफ से आते हुए दिखायी दिये, जिसे देखते ही मुखबिर ने इशारा करके वाहन को रोकवाकर उतरकर चला गया। मोटर साइकिल को रोका गया तो मोटर साइकिल चालक के ललकारने पर पुलिस वालों पर हाथ में लिये हुए पिस्टल से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया परन्तु हम पुलिस वाले बाल–बाल बच गये। आवश्यक बल का प्रयोग कर मौके पर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो उन्होनें बताया तथा जामा तलाशी ली गयी तो विनय राजभर के पास से असलहा बरामद हुआ। अग्रेतर यह भी साक्ष्य दिया है कि बरामदगी के दौरान पब्लिक के लोगों को गवाही देने के लिए कहा गया लेकिन बिना नाम बताये हट–बढ़ गये। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षा के पृष्ठ सं० 7 पर यह साक्ष्य दिया है कि घटना की सूचना पर वह घटना स्थल पर पहुंचा तो मुल्जिमान को रूकने का इशारा किया गया, उसके उपरांत फायर कर दिये, मुल्जिमानों ने पुलिस पार्टी पर एक फायर किया था, जो फायर किया वह हम लोगों को लक्ष्य करके फायर किया। हम लोग कुल पन्द्रह लोग घटना स्थल पर गये थे। हम नहीं बता सकते कि किस पुलिस वाले को लक्ष्य करके विनय राजभर ने फायर किया था। पुलिस पार्टी सामने थी, उसके पीछे सरकारी गाड़ी थी, किसी को मुल्जिम द्वारा चलाई गई गोली किसी पुलिस वाले को नहीं लगी, गोली जब चली हम लोग अगल–बगल होकर बचने का प्रयास किये। मुल्जिम द्वारा चलाई गयी गोली सरकारी गाड़ी पर भी नहीं लगी थी। अग्रेतर यह भी साक्ष्य दिया है कि घटना का कोई चश्मदीद साक्षी मौके पर नहीं मिला, कहा गया तो बिना नाम पता बताये हट–बढ़ गये। घटना स्थल के बगल में बबलू पाण्डेय का ईंट–भट्ठा भी है। मैं भट्ठे के किसी आदमी से गवाही के लिए नहीं कहा था।

(19) साक्षी सं० 2 उपनिरीक्षक श्रीनिवास चौधरी, जो इस घटना के विवेचक साक्षी है, जिनके द्वारा प्रस्तुत मामले की विवेचना की गयी तथा समस्त पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन एवं घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया और समस्त साक्ष्य संकलन के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया था। इस साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक/आरक्षी के साथ कार्य करने व उसके लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया है और उक्त आरक्षी द्वारा तैयार किये गये प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी.डी. की पहचान किया है। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि विवेचना के दौरान किसी पुलिस वाले को गोली नहीं लगी थी। मैं परमानन्द मिश्र के बयान के आधार पर मुकदमे की विवेचना किया था, जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया था, उसी तरह से मैंने मुकदमे की विवेचना किया था।

(20) उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथानक के अनुसार प्रश्नगत घटना की तिथि व समय पर मुखबिर की सूचना के आधार पर वादी मुकदमा/प्रभारी निरीक्षक परमानन्द मिश्र ने अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ घटना स्थल बबलू पाण्डेय के ईंट–भट्ठा के पास ग्राम सरायमेवा गिरी, थाना मधुबन, जनपद मऊ पर पहुंचे तो एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति फतेहपुर मण्डाव की तरफ से आते हुए दिखाई दिया, जिसे देखते ही मुखबिर ने इशारा करके वाहन को रोकवाकर उतरकर चला गया। मोटर साइकिल को रोका गया तो मोटर साइकिल चालक के ललकारने पर पुलिस वालों पर हाथ में लिये हुए पिस्टल से जान से मारने की नीयत से फायर किया जाना बताया गया है परन्तु उनके फायर से किसी भी पुलिस कर्मी को कोई चोट न आने का भी साक्ष्य दिया है चूंकि घटित घटना स्थल बबलू पाण्डेय के ईंट–भट्ठा के पास होना अभिकथित किया गया है साथ ही साक्षी सं० 1 प्रभारी निरीक्षक/परमानन्द मिश्र ने उक्त घटना को भीड़–भाड़ वाले स्थान पर शाम 15.50 बजे होना अभिकथित किया गया है परन्तु अभियोजन द्वारा मात्र तथ्य के एक साक्षी को परीक्षित कराया गया, जो एक पुलिसकर्मी है, और उसने स्वीकार किया है कि घटना का कोई चश्मदीद साक्षी मौके पर नहीं मिला। यह भी साक्ष्य दिया है कि घटनास्थल बबलू पाण्डेय के ईंट–भट्ठा के पास की है लेकिन भट्ठे के किसी आदमी से गवाही के लिए नहीं कहा था। इस प्रकार अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा यह भी साक्ष्य दिया गया है कि अभियुक्त ने मात्र एक फायर किया था परन्तु वे बाल–बाल बचे गये और उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी।

(21) यद्यपि कि धारा 307 भा.दं.सं. के अनुसार चोट कारित होना आवश्यक शर्त नहीं है, जान से मारने की नीयत से ऐसे हमला करना, जिससे मृत्यु होना संभावित हो। उक्त धारा के

तहत अपराध कारित होने के लिए पर्याप्त है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में घटनास्थल पर अभियुक्त के द्वारा चलाई गई गोली से किसी वस्तु, स्थल, वृक्ष आदि पर कोई निशान कारित होने का तथ्य अभियोजन साक्ष्य से परिलक्षित नहीं होता है साथ ही साक्षी पी.डब्लू. 1 वादी मुकदमा परमानन्द मिश्र ने अपने प्रति परीक्षा में बयान दिया है कि मुल्जिम द्वारा चलाई गयी गोली सरकारी गाड़ी पर भी नहीं लगी थी जबकि बयान में यह भी साक्ष्य दिया है कि पुलिस पार्टी के पीछे सरकारी गाड़ी थी।

(22) यह स्वाभाविक तथ्य है कि यदि पुलिस बल या किसी अन्य सशस्त्र बल पर किसी अवांछित व्यक्ति या अपराधी सशस्त्र से हमला किया जाता है तब वे जरूर जवाबी कार्यवाही अपने पास उपलब्ध हथियारों से करेंगे किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस बल द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कोई जवाबी कार्यवाही न करते हुए मात्र यह साक्ष्य दिया है कि तथाकथित घटना की तिथि व समय पर बबलू पाण्डेय के ईंट–भट्ठा के पास अभियुक्त द्वारा पिस्टल से फायर किये जाने का उल्लेख किया गया है। यह समस्त तथ्य घटना को संदेहास्पद बनाता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य का संपुष्टिकरण करने हेतु स्वतंत्र गवाह को परीक्षित कराया जाना आवश्यक हो जाता है।

(23) चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी पक्ष को कोई चोट कारित नहीं हुई है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में आया है जिससे यह अवधारित किया जा सके कि अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया हो। गोली चलाने का निशान किसी वस्तु, स्थल, वृक्ष या अन्य स्थल पर होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक के समर्थन में किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथानक की संपुष्टिकरण हेतु स्वतंत्र साक्षी का परीक्षित न कराया जाना भी घटना को संदेहास्पद एवं संदिग्ध बनाता है।

(24) इस क्रम में उल्लेखनीय है कि सत्र परीक्षण सं० 51/2016, अपराध सं० 633/2014, अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अपराध भी अभियुक्त विनय राजभर के विरूद्ध अधिरोपित किया गया है, जिसमें वादी मुकदमा/थाना प्रभारी परमानन्द मिश्र द्वारा दिनांक 12.08.2014 को अन्य पुलिस बल के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर, एक जिन्दा कारतूस एवं एक अदद खोखा कारतूस बरामद किया जाना उल्लिखित किया गया है।

(25) इस निमित्त वादी मुकदमा/थाना प्रभारी को अभियोजन द्वारा साक्षी पी.डब्लू. 1 परमानन्द मिश्र के रूप में परीक्षित कराया है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षा में फर्द बरामदगी

प्रदर्श क–1 में उल्लिखित घटनाक्रम में समर्थित किया है तथा यह साक्ष्य दिया है कि मुखबिर खास के सूचना के आधार पर अभियुक्त को घटनास्थल बबलू पाण्डेय के ईंट–भट्ठा के पास ग्राम सरांय मेवा गिरी से पकड़ा गया तथा उसके जामा तलाशी से एक अदद पिस्टल 32 बोर, एक जिन्दा कारतूस एवं एक अदद खोखा कारतूस बरामद किया जाना बताया है परन्तु अभियोजन द्वारा उक्त बरामद एक अदद पिस्टल 32 बोर, एक जिन्दा कारतूस एवं एक अदद खोखा कारतूस के संबन्ध में कोई भी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस प्रकरण के अभियुक्त उक्त पिस्टल से ही गोली चला गयी थी। इस प्रकार अभियोजन ने अभियुक्त विनय राजभर के विरूद्ध सत्र परीक्षण सं० 51/2016, अपराध सं० 633/2014, अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

(26) अतएव अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्षियों के साक्ष्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के गहन अधिमूल्यन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में एक तथ्यगत साक्षी ने घटना के सम्बन्ध में कोई ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दिया है, जिससे यह साबित हो कि घटना की तिथि, स्थान व समय पर अभियुक्त ने पुलिस बल को जान से मारने की नीयत से उनके उपर पिस्टल से फायर किया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले से संबन्धित कोई स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही अभियुक्त के पास बरामद एक अदद पिस्टल 32 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस के जांच रिपोर्ट ही प्रस्तुत की गयी है, जिससे यह साबित हो कि अभियुक्त द्वारा उक्त पिस्टल से फायर किया गया था। इस प्रकार अभियोजन, अभियुक्त विनय राजभर के विरूद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त विनय राजभर के विरूद्ध धारा 307 भा०दं०सं० व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

(27) अभियुक्त विनय राजभर को सत्र परीक्षण सं० 47/2015, अपराध सं० 632/2014, धारा 307 भा०दं०सं० एवं सत्र परीक्षण सं० 51/2016, अपराध सं० 633/2014, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना मधुबन, मऊ के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

(28) अभियुक्त जमानत पर है। अतः उसका स्वबंध–पत्र व प्रतिभूगण निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूगण को उसके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(29) अभियुक्त के द्वारा धारा 437ए दं.प्र.सं के प्रावधानों के अनुपालन में मु० 20,000/–रू (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू इस आशय से अविलम्ब प्रस्तुत किया जाये है कि यदि इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाती है एवं उसे आहूत किया जाता है तो वह वहां उपस्थित होगा। यह बंधपत्र इस निर्णय की तिथि से छः माह की समयावधि तक प्रभावी रहेगा।

(30) माल मुकदमा (यदि कोई हो) अपील न किये जाने की दशा में, अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार निस्तारित किया जाये और यदि अपील की जाती है, तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार माल मुकदमा का निस्तारण किया जाये।

(31) इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण सं० 51/2016 की पत्रावली में रखी जाये। पत्रावलियां नियमानुसार दाखिल दफ्तर किया जाये।

दिनांकः–21.07.2026

(संजय कुमार यादव–III)
सत्र न्यायाधीश
मऊ।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः–21.07.2026

(संजय कुमार यादव–III)
सत्र न्यायाधीश
मऊ।